



2026:AHC:66659

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या-- 12454 वर्ष 2026

सुरेंद्र पाल सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ऋतुराज सिंह, श्री राम पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अर्श अहमद फारूकी, बख्तेयार यूसुफ, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ नंदन

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री श्री राम पांडे और प्रतिपक्षी संख्या-6 के अधिवक्ता और राज्य के स्थायी अधिवक्ता श्री बख्तेयार यूसुफ को सुना।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पेश किए जा रहे एक तात्कालिक आवेदन पर, प्रस्तुत मामले को पूरक सूची में दिनांक 29.03.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के साथ रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दिनांक 26.03.2026 के पत्र पर भरोसा करते हुए तात्कालिकता की ओर इशारा किया है, जिसके माध्यम से आज दोपहर 3:30 बजे पुनर्मतगणना की तारीख तय की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं।
4. यह सोसायटी "इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघटक कॉलेज शिक्षक संघ" (एयूसीसीटीए) के नाम से एक शिक्षक संघ के कल्याण के लिए एक पंजीकृत सोसायटी है।
5. उप-नियमों के प्रस्तर-8 में चुनाव कराने की प्रक्रिया का प्रावधान है और पदाधिकारी का कार्यकाल शपथ लेने की तारीख से दो वर्ष है; और सोसायटी के पदाधिकारियों का चुनाव 27.04.2025 को हुआ और उसी तारीख को चुनाव परिणाम घोषित किए गए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और एक श्री अमित सिंह जो निकटतम प्रतियोगी थे, दो मतों से चुनाव हार गए।

6. याचिकाकर्ता का यह मामला है कि मतगणना के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और बाद में चुनाव हारने के बाद, उक्त श्री अमित सिंह ने अधिनियम, 1860 की धारा 25(1) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता को न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उसे कोई नोटिस जारी किया गया था; और तदनुसार, अधिनियम की धारा 25(1) के तहत पूरी कार्यवाही एकपक्षीय कार्यवाही है। उन्होंने दिनांक 03.05.2025 के आवेदन पर भी भरोसा किया है जिसमें मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आवेदन में गलत तरीके से शून्य घोषित किए जाने वाले वोटों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। सुलभ संदर्भ के लिए, प्रस्तर-13 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"13. यह कि मतगणना के दौरान आवेदनकर्ता के मत अविधिक रूप से अमान्य कर दिये गये और मतगणना को प्रभावित करते हुए प्रार्थनाकर्ता को विजयी होने के उपरान्त भी 2 मतों से पराजित घोषित कर दिये।"

7. मैंने दिनांक 17.03.2026 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया और प्रतिपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उसे कोई नोटिस जारी किया गया था। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह को सुनने के बाद ही पुनर्मतगणना का आदेश पारित किया गया है। प्रतिपक्षी के अधिवक्ता से किए गए एक स्पष्ट प्रश्न पर कि क्या अधिनियम, 1860 की धारा 25(1) के तहत कार्यवाही में, चूंकि वोटों की पुनर्गणना से लौटे उम्मीदवारों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, उन्होंने केवल यह प्रस्तुत किया है कि लौटे उम्मीदवारों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा, एहतियात के उपाय के रूप में पुनर्मतगणना की जा सकती है और लौटे उम्मीदवारों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

8. मैं उक्त तर्क से सहमत होने में असमर्थ हूं और पाया हूं कि चूंकि स्वीकार किया गया है कि पुनर्मतगणना का आदेश लौटे हुए उम्मीदवार को बिना किसी अवसर के पारित कर दिया गया है और इसके अलावा, जब 17.03.2026 के आदेश के खिलाफ अपील पहले ही



दायर की जा चुकी है और स्थगन आवेदन लंबित था, तो संबंधित अधिकारियों को अपील में स्थगन आवेदन के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी या कम से कम उचित समय पर; विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब याचिकाकर्ता राष्ट्रपति के पद पर एक लौटा हुआ उम्मीदवार था।

9. इस स्तर पर, प्रतिपक्षी के अधिवक्ता श्री बख्तियार यूसुफ ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका का **निस्तारण** प्रवेश चरण में ही किया जा सकता है और अपील संख्या-519 वर्ष 2026 (सुरेंद्र पाल सिंह बनाम अमित सिंह और अन्य) में याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन को प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष लंबित होने की स्थिति में कोई आपत्ति नहीं है - आयुक्त, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 25(1) के तहत दायर किया जा रहा है, आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर तय किया जाता है और पुनर्गणना उपरोक्त अपील के परिणाम के अधीन की जाती है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** प्रतिपक्षी संख्या-2 को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपील संख्या-519 वर्ष 2026 (सुरेंद्र पाल सिंह बनाम अमित सिंह और अन्य) में याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया जाता है, और इसके बाद, आज से आठ सप्ताह के भीतर अपील का निपटान किया जाता है; और आक्षेपित आदेश उपरोक्त अपील के परिणाम के अधीन होगा।

11. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

सुमित के.

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन)